आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश अग्रणी

चर्चा में क्यों?

आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश **अग्रणी** है, जहाँ 87% पात्र परिवारों को शामिल किया जा चुका है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- **उपलब्धि के बारे में:**
  - **उत्तर प्रदेश** में अब 87% पात्र परिवारों के पास आयुष्मान कार्ड है। अब तक कुल 5.38 करोड़ कार्ड वितरित किये जा चुके हैं, जिससे राज्य **आयुष्मान भारत योजना** के क्रियान्वयन में अग्रणी बन गया है।
  - उत्तर प्रदेश में **नौ करोड़ लक्षित लाभार्थियों में से 50% से अधिक** को इस योजना में नामांकित किया जा चुका है।
  - आयष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) की सातवीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और व्यय**
  - योजना की शुरुआत से अब तक उत्तर प्रदेश में 74.4 लाख लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में **मुफ्त उपचार** प्राप्त हुआ है, जिस पर कुल 12,283 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।
  - इसमें से 4,200 करोड़ रुपये कैंसर उपचार, **कार्डियोलॉजी,** अंग प्रत्यारोपण **और बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी** जैसी तृतीयक देखभाल सेवाओं के लिये आवंटित किये गए हैं।
- **सूचीबद्ध अस्पताल:**
  - वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में **6,099 सूचीबद्ध अस्पताल** हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। इनमें 2,921 सरकारी अस्पताल और 3,088 निजी अस्पताल शामिल हैं।
  - यह व्यापक नेटवर्क राज्य की **जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाओं तक व्यापक पहुँच** सुनिश्चित करता है।

आयुष्मान भारत-PMJAY योजना

- **परिचय:**
  - 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई आयुष्मान भारत को विश्व की सबसे बड़ी सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा पहल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भारत की **लगभग 45% जनसंख्या को कवर करती है।**
  - इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को **निःशुल्क एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है।**
- **वित्तपोषण:**
  - **राज्यों के** पास इस योजना से **बाहर निकलने का विकल्प है।**
  - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना **है जिसमें** केंद्र और राज्यों के लिये लागत अनुपात **60:40 तथा** पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **90:10 है।**
- **लाभार्थी:**
  - लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 तथा अन्य **राज्य-विशिष्ट पहलों** के आधार पर किया जाता है।
  - इनमें निर्माण **श्रमिक, अंत्योदय कार्डधारक, मान्यता प्राप्त पत्रकार, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, कुंभ कार्यकर्त्ता, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक तथा कमज़ोर आदिवासी समूह** शामिल हैं।
  - हाल ही में, इस योजना का विस्तार शिक्षकों को भी शामिल करने के लिये किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/up-leads-in-ayushman-bharat-pmjay-implementation